

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 सितम्बर, 2019

विषय:- जनपद सोनभद्र में हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि० (रेनुसागर पावर डिवीजन) रेनुसागर को 132 केल्वी० विद्युत पारेपण लाइन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हे० आरक्षित वन भूमि के पट्टे का 25 वर्षों (दिनांक 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये लीज नवीनकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जय वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगज लखनऊ के पत्र संख्या-8वीं/यूपी/04/68/2019/एफ.सी/244 दिनांक 14.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सम्बन्ध ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गयी हैं :-

1. The proposal is not showing online on the Portal of Regional Office.
2. The SOI topsheet of diverted land and CA land has not been submitted in standard scale 1:50,000. It is in merger format.
3. The Geo-referenced maps of proposed CA land have not been submitted.
4. Scheme of raising Dwarf variety of plants under Transmission line is not submitted.
5. Penal NPV along with the interest payable as per recent guidelines of the Ministry dated 29-10-2018 has not been proposed by the State Government.
6. The compliance of above mentioned shortcomings should be ensured/submitted by the State Government along with proper recommendation.

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 14.08.2019 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विस्तृत आख्या तत्साम्यक्षी अभिलेख अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-2/11-सी- FP/UP/Trans/18048/2016, लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर/4, 2019

- प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।
- प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि- सहायक महाप्रबन्धक, मै० हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि०, रेनुकूट-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।